

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/79/2019

अपीलाट कल्याणसिंह पुत्र श्री केसरसिंह
निवासी सरदारपुरा मार्ग नं. 02, बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 11.12.2019

अपीलार्थी कल्याणसिंह पुत्र श्री केसरसिंह निवासी सरदारपुरा मार्ग नं. 02, बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 31.10.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 448617 दिनांक 05.09.2019 का प्रतिपण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना यथा उपलब्धता जरिये डाक भिजवाई जा चुकी है, लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हमने अपीलाट व रेस्पोंडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एवं अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलाट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई उपलब्ध सूचना दी जा चुकी है, किन्तु उक्त सूचना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के दो माह बाद दी गई है तथा इस विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रकट नहीं किया गया है। लिहाजा रेस्पोंडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलाट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है साथ ही रेस्पोंडेंट लोक सूचना अधिकारी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सूचना अधिकार के प्रार्थना-पत्रों का निर्धारित समय अवधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।



Amk
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

